न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर०ए०एस०
राजस्व वाद संख्या : 161/2019
GCMS NO. : 2019/00173

–ः वादी ः–	बनाम	–ः प्रतिवादीगण ः–
1. सत्तारखां पुत्र अहमदखां जाति– तेली मुसलमान निवासी– निम्बोल, तहसील– जैतारण, जिला– पाली राज०।		1. तहसीलदार जैतारण जिला– पाली (राज)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं 136 भू राजस्व अधिनियम 1956.

तारीख रजू:.23/07/2019

उपस्थितः– 1. श्री नितेश चौहान, अधिवक्ता वादी।
2. सरकार राज पैरोकार, तहसीलदार, जैतारण।

–ः: निर्णय ::– **दिनॉकः– 27/02/2023**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, एवं 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत् विरुद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि वादी की पैतृक पुश्तैनी एवं कब्जे कारत की कृषि भूमि सरहद मौजा– निम्बोल, पटवार हल्का– निम्बोल, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र– निम्बोल, तहसील– जैतारण, जिला– पाली, राजस्थान में खसरा संख्या 993 रकबा 3 बीघा 07 बिस्वा व खसरा नम्बर 966 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा खसरा नम्बर 990/2 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा की कृषि भूमि आई हुई है जिसमे वादी अपने हक हिस्से अनुसार मौके पर काबिज कास्तकार एवं खातेदार राजस्व रेकर्ड मे दर्ज है। नकल जमाबन्दी साथ पेश है। उक्त आराजी मे वक्त फौतेदगी नामान्तरण में राजस्व अधिकारीयो ने वादी कीश नाम रहमतुल्लाखा पुत्र रमजू दर्ज कर दिया गया जो एक रोग एन्टी है। वादी सत्तारखा के पिता का नाम रहमतुल्लाखा नहीं होकर वादी के पिता का सही व वास्तविक नाम अहमदखा है जो वादी के पिता का नाम समस्त सरकारी अर्द्धसरकारी दस्तावेजात मे अहमदखां पुत्र रजमानखां दर्ज रेकर्ड है जिसकी प्रतियां वादपत्र के साथ संलग्न है जिसे वादपत्र का एक आवश्यक भाग माना जावे। इस प्रकार वर्णित राजस्व रेकर्ड मानवीय त्रुटि व रोग एन्टी है जो आज दिन तक राजस्व रेकर्ड मे चल रही है। तथा वादी के पिता के देहान्त दिनांक 17/05/2019 को होने पर उसका मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति लेकर दिनांक 01/07/2019 को फोतेदगी [illegible] पटवारी हल्का से सम्पर्क करने पर पता चला कि वादी के पिता [illegible] राजस्व रेकर्ड में रहमतुल्लाखा पुत्र रमजू दर्ज हैं तो पटवारी [illegible] ने उक्त [illegible] एन्टी को न्याया[illegible] से दुरस्त करवाने का कथन किया जिसके [illegible] की पैतृक पु[illegible] सम्पति में

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.07.25 11:50:04 IST
Reason: SelfAttested

उक्त रोग एन्ट्री एवं रेकर्ड दुरुस्त करवाने व अपना फोतेद्गी नामान्तरण दर्ज करवाने का अधिकारी होने से यह वादपत्र बाबत घोषणा का विरूद्ध प्रतिवादी के पेश है। वादी का नाम जो राजस्व रेकर्ड मे गलत इन्द्राज किया गया है जिसको हटाने एवं राजस्व रेकर्ड में वादी के पिता का सही व वास्तविक व दस्तावेजी नाम अहमदखा पुत्र रमजानखा से दर्ज करने एवं इन्द्राज करवाकर अपने नाम से फौतेदगी नामान्तरण करवाने का अधिकारी वादी होने से उक्त वादपत्र श्रीमान् के समक्ष पेश है। वादी को आये दिन उक्त रेकर्ड को लेकर अनेक प्रकार की परेसानियो का सामना करना पड रहा है तथा सरकारी एवं गैर सरकारी योजनाओ से फायदा नहीं उठा पा रहे है न ही ऋण आदि व किसानकार्ड बन रहा है जिस पर सहखातेदारो से सम्पर्क किया तो उन्होने मौके पर कब्जे काश्त एवं अपने नाम की रेकर्ड दुरुस्त करवाने का कथन किया इसलिए सहखातेदारो के विरूद्ध किसी प्रकार की इस्तदुआ नही चाही गई है इसलिए उनको इस वादपत्र में प्रतिवादी पक्षकार समयोजित नहीं किया गया है। प्रतिवादी राज्य सरकार का प्रतिनिधि है एवं तहसीलदार जैतारण लेण्ड होल्डर है इनके विरुद्ध वादपत्र पेश करने से पूर्व दो माह का विधिक नोटिस दिया जाना आवश्यक है परन्तु वाद पत्र अति आवश्यक प्रकृति का है तथा नोटिस देने में समय लगेगा तब तक वाद करने का मकसद विफल हो जायेगा इसलिए बिना नोटिस दिये ही वादपत्र प्रस्तुत करने की अनुमति बाबत् धारा ८० (2) सीपीसी का प्रार्थनापत्र वादपत्र के साथ पेश है। बिनाय वाद दिनांक 01/07/2019 को पटवारी हल्का से सम्पर्क करने एवं उसके द्वारा न्यायालय से आदेश लाने बाबत् कथन करने एवं न्यायालय आदेश से ही रेकर्ड दुरुस्त करने एवं उक्त रोग एन्टी हटाने का कथन करने पर बमुकाम निम्बोल तहसील जैतारण जिला पाली राज0 मे पैदा हुआ जो श्रीमान् के क्षेत्राधिकाकर एवं श्रवणाधिकार का होने से श्रीमान् के समक्ष पेश है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार जैतारण ने जवाबदावा पेश किया, जो सा.मि. है। उपरोक्त वाद में प्रतिवादी तहसीलदार जैतारण का बिन्दूवार जवाब दावा निम्नानुसार हैः– प्रार्थनापत्र के पद संख्या एक में वर्णित तथ्य अस्वीकार है। माफिक राजस्व रेकर्ड ग्राम निम्बोल खसरा नम्बर 966 रकबा 03–06 बीघा व खसरा नम्बर 990/2 रकबा 03–18 बीघा में रहमतुल्लाखां पुत्र रमजू कौम तेली तथा खसरा नम्बर 993 रकबा 03–07 बीघा में शहाबुदीन पुत्र मिसरूखां, नैनी पुत्री मिसरूखां, रहमतुल्लखां, बाबू पि0 रमजू कौम तेली सा0 देह खातेदार दर्ज है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 2 में वर्णित तथ्य अस्वीकार है। विरासत के नामान्तरण संख्या ... दिनांक 20.11.1978 द्वारा रिमजू पुत्र पूना कौम तेली(फौत) के स्थान पर मिसरूखां रहमतुल्लाह, बाबू पि0 रिमजू कौम तेली दर्ज हुआ जो सही है। साबित करने का भार वादी पर है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.07.25 11:50:04 IST
Reason: SelfAttested

हमनें पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। बहस विद्वान वकील प्रार्थी पर

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण (पाली)

गौर कर मनन किया गया। प्रकरण का बिन्दूवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार है :-

1. वादी द्वारा हस्तगत वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी की पैतृक पुश्तैनी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा निम्बोल पटवार हल्का निम्बोल भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र निम्बोल तहसील जैतारण जिला पाली राज० में खसरा संख्या 993 रकबा 03-07 बीघा व खसरा नम्बर 966 रकबा 03-06 बीघा, खसरा नम्बर 990/2 रकबा 03-18 बीघा में वादी सहखातेदार दर्ज है। वादग्रस्त आराजी में वक्त फौतेदगी नामान्तरण में राजस्व अधिकारीयों ने सहवन से वादी के पिता का नाम से रहमतुल्लाखा पुत्र रमजू दर्ज कर दिया जो कि रोंग एन्ट्री है। वादी के पिता का सही एवं वास्तविक नाम समस्त सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी दस्तावेजात् में अहमदखां पुत्र रमजानखां अंकित है। वादी के पिता का देहान्त दिनांक 17.05.2019 को हो जाने से वादी पैतृक पुश्तैनी आराजी में उक्त रोन्ग एन्टी एवं रेकर्ड दुरूस्त करवानें का अधिकारी है। अतः राजस्व रेकर्ड में दर्ज रोंग एन्ट्री/ मानवीय भूल को दुरूस्त कर वादी के पिता का सही, वास्तविक एवं दस्तावेजी नाम अहमदखां पुत्र रमजानखां दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावे।

2. प्रतिवादी तहसीलदार जैतारण ने जवाबदावा प्रस्तुत किया तथा वादपत्र के पद संख्या एक व दो में वर्णित कथनों को अस्वीकार करते हुये कथन किया है कि विरासत के नामान्तरण संख्या 674 दिनांक 20.11.1978 द्वारा रिमजू पुत्र पूना कौम तेली(फौत) के स्थान पर मिसरूखां रहमतुल्लाह, बाबू पि० रिमजू कौम तेली दर्ज हुआ जो सही है।

3. वादी द्वारा साक्ष्य वादी में वादी सत्तारखां पुत्र अहमदखां जाति तेली मुसलमान निवासी निम्बोल तहसील जैतारण द्वारा शपथ पत्र पी.डब्ल्यु. 1 पर वादपत्र में अंकित कथनो एवं वांछित अनुतोष का समर्थन किया है तथा शपथ पत्र पर कथन किया है कि उक्त आराजी में वक्त फौतेदगी नामान्तरण में राजस्व अधिकारीयों ने वादी के पिता का नाम रहमतुल्लाखां पुत्र रमजू दर्ज कर दिया जो कि एक रोंग एन्ट्री है तथा वादी के पिता का सही एवं वास्तविक नाम अहमदखां पुत्र रमजानखां है। वादी साक्ष्य में गवाह बाबूखां पुत्र रमजानखां कौम तेली मुसलमान द्वारा शपथ पत्र क्रमशः पी.डब्ल्यु. 2 पर वादपत्र में अंकित कथनो एवं वांछित अनुतोष का समर्थन करते हुये कथन किया है कि वह वादी का सगा चाचा हैं तथा वादग्रस्त आराजी वादी की पैतृक पुश्तैनी एवं कब्जे काश्त की कृषि है तथा वादग्रस्त आराजी में वक्त फौतेदगी नामान्तरण स्वीकृत करते समय वादी के पिता यानि मेरे सगे भाई का नाम सहवन से रहमतुल्लाखां पुत्र रमजू दर्ज कर दिया गया जो कि एक रोंग एन्ट्री है तथा मेरे भाई का सही एवं वास्तविक

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.07.25 11:50:04 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण (पाली)

नाम अहमदखां है। अतः उक्त रोंग एन्टी को दुरूस्त किया जाना आवश्यक है तथा अन्य गवाह अनवर पुत्र अहमदखां जाति तेली मुसलमान निवासी निम्बोल द्वारा शपथ पत्र क्रमशः पी.डब्ल्यु. 3 पर वादपत्र में अंकित कथनो एवं वांछित अनुतोष का समर्थन करते हुये कथन किया है कि वह वादी का सगा भाई है तथा वादग्रस्त आराजी पर वादी अपने हक हिस्से अनुसार मौके पर काबिज काश्तकार है। वादग्रस्त में वक्त फौतेदगी नामान्तरण स्वीकृत करते समय वादी के पिता का नाम सहवन से रहमतुल्लाखां पुत्र रमजू दर्ज कर दिया गया जो कि एक रोंग एन्ट्री है तथा मेरे पिता का सही एवं वास्तविक नाम अहमदखां है।

4. वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य में प्रदर्श 1 ग्राम निम्बोल पटवार हल्का निम्बोल की जमाबंदी संवत 2073 से 2076 खसरा संख्या 993 में मिसरूखां, रहमतुल्लाखां, बाबू, पि0 रमजू कौम तेली सा. देह खातेदार अंकित है। प्रदर्श– 2 जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 खसरा नम्बर 966 व 990/2 में रहमतुल्लाखां पुत्र रमजू कौम तेली बतौर खातेदार दर्ज है। प्रदर्श–3ए वादी सत्तार खां पुत्र अहमद का आधार कार्ड, प्रदर्श–4 वादी सत्तार खां के पिता का भारत निर्वाचन विभाग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र, प्रदर्श–5 वादी के पिता अहमदखां पुत्र रमजानखां का आधार कार्ड, प्रदर्श–6 वादी के पिता अहमदखां पुत्र रमजानखां का मृत्यु प्रमाण, प्रदर्श–7 वादी के भाई अनवर पुत्र अहमद खां का आधार कार्ड, इत्यादि दस्तावेजात् में वादी का पिता का नाम अहमदखां पुत्र रमजानखां अंकित है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह स्पष्ट एवं विनम्र अभिमत है कि उपलब्ध दस्तावेजात् से यह स्पष्ट होता है कि वादी के पिता अहमदखां पुत्र रमजानखां एवं वादग्रस्त आराजी में बतौर खातेदार दर्ज रहमतुल्लाखां पुत्र रमजू वस्तुतः एक ही व्यक्ति है तथा खातेदार का सही एवं वास्तविक नाम रहमतुल्लाखां पुत्र रमजू न होकर अहमदखां पुत्र रमजानखां है। वादी के पिता का नाम भू–अभिलेख में जरिये वक्त फौतदेगी नामान्तरण के दर्ज हुआ है। भू अभिलेख में दर्ज रहमतुल्लाखां पुत्र रमजू वस्तुतः एक लिपिकीय दोष जनित त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि है। अतः वादी वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख में अपने पिता के नाम की त्रुटिपूर्ण रूप से दर्ज प्रविष्टि रहमतुल्लाखां पुत्र रमजू को विलोपित करते हुये उसके स्थान पर सही प्रविष्टि अहमदखां पुत्र रमजानखां दर्ज करवानें एवं अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवानें का अधिकारी है। अतः वाद वादी स्वीकार कर डिक्री [illegible] विधि संगत होगा।

:: आदेश ::

अतः उपर्युक्त विवेचन [illegible] निष्कर्षतः वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण अंतर्गत धारा 88, राजस्थान [illegible] काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136, भू–राजस्व अधिनियम 1956 बखूबी साबित होनें एवं सारवान

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.07.25 11:50:04 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण (पाली)

होने से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा- निम्बोल, पटवार हल्का- निम्बोल, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र- निम्बोल, तहसील- जैतारण, जिला- पाली, राजस्थान में खसरा संख्या 993 रकबा 3-07 बीघा व खसरा नम्बर 966 रकबा 3-06 बीघा, खसरा नम्बर 990/2 रकबा 03-18 बीघा में बतौर खातेदार दर्ज वादी के पिता अहमदखां पुत्र रमजानखां के त्रुटिपूर्ण एवं अशुद्ध नाम की प्रविष्टि ***"रहमतुल्लाखां पुत्र रमजू"***, को विलोपित करते हुये इसके स्थान पर खातेदार का सही एवं वास्तविक नाम **"अहमदखां पुत्र रमजानखां"** दर्ज कर मृतक खातेदार अहमदखां पुत्र रमजानखां जाति तेली मुसलमान निवासी ग्राम निम्बोल पटवार हल्का निम्बोल को वादग्रस्त आराजी में खातेदार अभिधारी घोषित किया जाता है, शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। तहसीलदार जैतारण को निर्देशित किया जाता है कि इसी मुताबिक भू अभिलेख में इन्द्राज करें तथा तत्पश्चात मृतक खातेदार अहमदखां पुत्र रमजानखां के विधिक वारिसान की सम्यक् जांच कर नियमानुसार फौतेदगी नामान्तरण स्वीकृत करें। वादी को निर्देशित किया जाता है कि मृतक खातेदार अहमदखां पुत्र रमजानखां के विधिक वारिसान की सूची एवं आवश्यक दस्तावेजात् तहसीलदार जैतारण को प्रस्तुत करें। इसी कदर वादपत्र बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाता है, पर्चा डिक्री पृथक से जारी होकर शामिल मिसल हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर संख्या से एक कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

निर्णय आज दिनॉक 27/02/2023 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.07.25 11:50:04 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 20 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण
बईजलास :- श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर०ए०एस०

-: वादी :- बनाम -: प्रतिवादीगण :-

1. सत्तारखां पुत्र अहमदखां जाति- तेली मुसलमान निवासी- निम्बोल, तहसील- जैतारण, जिला- पाली राज०।

1. तहसीलदार जैतारण जिला- पाली (राज)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

मु०न० :रा०वा०स०:- 161/2019

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .....-..... व हाजरी श्री नितेश चौहान, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व तहसील जैतारण सरकारी पैराकार प्रतिवादी मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण अंतर्गत धारा 88, राजस्थान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136, भू-राजस्व अधिनियम 1956 बख़ूबी साबित होनें एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा- निम्बोल, पटवार हल्का- निम्बोल, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र- निम्बोल, तहसील- जैतारण, जिला- पाली, राजस्थान में खसरा संख्या 993 रकबा 3-07 बीघा व खसरा नम्बर 966 रकबा 3-06 बीघा, खसरा नम्बर 990/2 रकबा 03-18 बीघा में बतौर खातेदार दर्ज वादी के पिता अहमदखां पुत्र रमजानखां के त्रुटिपूर्ण एवं अशुद्ध नाम की प्रविष्टि ***"रहमतुल्लाखां पुत्र रमजू"***, को विलोपित करते हुये इसके स्थान पर खातेदार का सही एवं वास्तविक नाम **"अहमदखां पुत्र रमजानखां"** दर्ज कर मृतक खातेदार अहमदखां पुत्र रमजानखां जाति तेली मुसलमान निवासी ग्राम निम्बोल पटवार हल्का निम्बोल को वादग्रस्त आराजी में खातेदार अभिधारी घोषित किया जाता है, शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। तहसीलदार जैतारण को निर्देशित किया जाता है कि इसी मुताबिक भू अभिलेख में इन्द्राज करें तथा तत्पश्चात मृतक खातेदार अहमदखां पुत्र रमजानखां के विधिक वारिसान की सम्यक् जांच कर नियमानुसार फौतेदगी नामान्तरण स्वीकृत करें। वादी को निर्देशित किया जाता है कि मृतक खातेदार अहमदखां पुत्र रमजानखां के विधिक वारिसान की सूची एवं आवश्यक दस्तावेजात् तहसीलदार जैतारण को प्रस्तुत करें। इसी कदर वादपत्र बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर संख्या से एक कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत......-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर .....-......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-......को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के तारीख 27/02/2023 को जारी किया गया।

मोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.07.25 11:50:04 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा	01	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	/		खर्चा गवाहान	/	
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर	02	00	बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा	/		मुत्फरिक		
मिजानः-	05	00	मिजानः-	-Nil-	

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.07.25 11:50:04 IST
Reason: SelfAttested